



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



IN-UP29449546308438W

e-Stamp

Signature: [Signature]
Account No: [Account No]
Address: [Address]
Phone No: [Phone No]
Email: [Email]

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased By
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount (Rs.)

: IN-UP29449546308438W
: 22-Apr-2024 11:08 AM
: NEWIMPACC (SV) UP14237604/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
: RUBIN-UPUP14237604/5089185564411W
: RAJESH KUMAR
: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
: Not Applicable
: DHRUV KUMAR SETH
: RAJESH KUMAR
: RAJESH KUMAR
: 100
: (One Hundred only)



SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Att. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd No 316420W

[Signature] Rajesh

किराया अनुबन्ध पत्र

ध्रुव कुमार सेठ निवासी आर-10, सिद्धार्थ लेन, संजय गाँधी पुरम, (इन्दिरा नगर), लखनऊ,
उ०प्र०-226016

--प्रथम पक्ष/भवन स्वामी

एवम्

राजेश कुमार पुत्र श्री हर गोविन्द मिश्रा निवासी ग्राम बरईयां कला, पोस्ट मसेचा, जिला
सिद्धार्थनगर, उ०प्र०।

--द्वितीयपक्ष/किरायेदार

हम उभय पक्ष बिना किसी जोर दबाव व लालच के स्वस्थ मस्तिष्क से आपस में किराया सम्बन्धी
अनुबन्ध करते हुए निम्नलिखित शर्तों से पाबन्द होते हैं :-

1. यह कि प्रथम पक्ष मकान नम्बर आर-10, सिद्धार्थ लेन, संजय गाँधी पुरम, (इन्दिरा नगर),
लखनऊ, उ०प्र०-226016 का स्वामी है और प्रथम पक्ष द्वारा अपने उक्त मकान के भूतल का
एक कमरा व किचन दिनांक 01-04-2024 से 11 माह के लिए द्वितीय पक्ष को किराये पर
दिया गया है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भवन के किराये के रूप में प्रतिमाह रुपये 2,600/-
(दो हजार छः सौ रुपये मात्र) अदा किये जायेंगे।
3. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भवन का किराया प्रत्येक माह की 01 से 05 तारीख तक भुगतान
कर दिया करेंगे किसी प्रकार की धूक नहीं होगी।
4. यह कि द्वितीय पक्ष एक माह पूर्व सूचना देकर जब चाहे मकान खाली कर सकता है तथा
प्रथम पक्ष भी एक माह पूर्व नोटिस देकर मकान खाली करा सकता है जिसमें किसी पक्ष को
कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि उक्त किराये की धनराशि में बिजली बिल भी शामिल है।
6. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त किरायेदारी वाले हिस्से का रख रखाव ठीक प्रकार से रखेगा तथा
बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के कोई तोड़फोड़ या निर्माण आदि नहीं करायेगा यदि वह ऐसा
करता है उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
7. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भवन का केवल आवासीय प्रयोग ही करेगा। द्वितीय पक्ष उक्त भवन
का किसी भी प्रकार से व्यवसायिक प्रयोग नहीं करेगा।

यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अनेतिक एवं गैर कानूनी
कार्य नहीं करेगा।

Rajesh

—पेज 3 पर/-

(3)

9. यह कि उक्त भवन में कोई शिकमी किरायेदार नहीं रखेगा तथा भवन जिस स्थिति में किराये पर दिया गया है उसे यथास्थिति में वापस देगा।
10. यह कि यह अनुबन्ध 11 माह के लिए है। यदि उभय पक्ष उक्त किरायेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है।

लिहाजा यह किराया अनुबन्ध पत्र आज दिनांक को समक्ष गवाहान लिखवा दिया तथा पढ़ कर सुन समझकर अपने अपने हस्ताक्षर बनाये ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

लखनऊ

दिनांक

गवाहान

- 1) नाम: Anur Kumar Sharma
पता: B-15 Shivaji Nagar
Kamla, Chinhath LKO

ह0 प्रथम पक्ष/भवन स्वामी

- 2) नाम: Rajesh Kumar
पता: R-10 Siddharth Nagar Lane
Sanyal gandhipuram LKO

Rajesh
ह0 द्वितीय पक्ष/किरायेदार

नोट:- साक्ष्य के रूप में द्वितीय पक्ष अपने पते का प्रमाण व फोटो आई0 डी0 का प्रमाण एवं नवीनतम फोटोग्राफ प्रथम पक्ष को देगा।

SIGNATURE ATTESTED

R. C. VERMA
NOTARY
CHHATTISGARH
INDIA
No. 111/2019